क्रमांक : FP/RJ/ROAD/48584/2020 दिनांक : 13.02.2026

सेवा में,
श्रीमान उप वन संरक्षक
बाड़मेर, राजस्थान।

विषय : Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj (Proposal No. : FP/RJ/ROAD/48584/2020)

संदर्भः— राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(44)वन/2021 जयपुर, दिनांक 08.10.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांक : एफ( )एफसीए/उवसं/2025/ दिंनाक — 11.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 08—10—2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या : (FP/RJ/ROAD/48584/2020)

क्र. स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1-	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2-	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3-	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4-	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगें,

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

	पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्‌टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9-	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति के पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति के पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

10-	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि **1,14,000/–**रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधी प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या–एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06. 2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि **1,31,481/–** रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager Retail

	स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
13-	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14-	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
15	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

RAJASTHAN

SPECIAL ADHESIVE

दिनांक : 13.02.2026

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/48584/2020

शपथ–पत्र

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

मैं सुशील कुमार शुक्ला, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक रिटेल, जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय, एच.पी.सी.एल. शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भगत की कोठी, जोधपुर का अॅटानी होल्डर है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति के पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि **1,14,000/**–रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager (Retail)

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि **1,31,481/–** रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

15. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

17 भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

दिनांक :13.02.2026

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/48584/2020

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj.

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hihdustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
भवदीय
Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन / 2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** **दिनांक :13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
भवदीय
Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Sushil Kumar Shukla

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :13.02.2026

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन / 2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों और रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति के पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020**

दिनांक :13.02.2026

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–10 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager-Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020**

दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि **1,31,481/–** रुपये दिनांक ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager, Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन/2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager Retail

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

क्रमांक : **FP/RJ/ROAD/48584/2020** दिनांक :**13.02.2026**

Project Name: Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village -Mahabar Peethal, Tehsil - Barmer, District - Barmer, Raj

Proposal No: FP/RJ/ROAD/48584/2020

Date of Submission: 24/08/2020

Applied Area: 0.1962 ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–15 का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (44) वन / 2021 दिनांक 8–10–2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

भवदीय

Sushil Kumar Shukla
Chief Regional Manager (Retail)

(सुशील कुमार शुक्ला)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
भगत की कोठी, जोधपुर–342005

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-01-2026

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD JODHPUR
Application No.	6148584482
MoEF/SG File No.	1(44)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	HPCL JODHPURJodhpur
Amount(in Rs)	245484/-

Amount in Words :Two Lakh Forty-Five Thousand Four Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856148584482 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through c
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse
ubin0903710@unionbankofindia.bank

ICICI BANK LIMITED
NEHRU NAGAR BARMER
21 JAN 2026
TRANSFER
☐ Sign. Verified ☐ UN Checked

968262

00016808/025

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RO

IFSC Code:	RAJASTHAN CAMPA
	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856148384482 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through c
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse
ubin0903710@unionbankofindia.bank

ICICI BANK LIMITED
NEHRU NAGAR, BARMER
21 JAN 2026
TRANSFER
☐ Sign. Verified ☐ U/V Checked

868262

0001680081025

Certified

हिन्दुराष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। गुरुवार को पुरी जगन्नाथ धाम से पधारे पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य ब्राह्मण भूषण अधिवक्ता प्रेमचंद्र झा जी के सानिध्य में हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन परम पूजनीय हिरानाथ महाराज प्रांगण सुभाष चौक, बाड़मेर, राजस्थान में संपन्न हुआ । प्रेमचन्द झा ने पक्षपातविहीन शोषण-विहीन मुक्त - सनातन शासनतंत्र स्थापित करने की आवशकता पर प्रकाश डाला और बताया की हिन्दू सबके हितैषी है, किसी के शोषक नहीं है। सभी के - पूर्वज हिन्दू है और हिन्दूओं के मान बिंदु जैसे गौ, गंगा आदि की रक्षा अत्यंत आवश्यक है परन्तु वर्तमान न समय में इन सबकी उपेक्षा से इनकी हानि हो रही है। जिसके समाधान के लिए हिन्दुराष्ट्र ही एकमात्र मार्ग है। जिसमें उन्होंने सेवा सत्संग स्वाध्याय एवं संगोष्ठी के माध्यम से हिंदुओं को संगठित कर भव्य भारत के लिए जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने करवाने के लिए प्रयास करने को कहा । उनका कहना था हम अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं जिसके कारण सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है जबकि पूरा विश्व सनातनी था। आज विश्व मे काफी देश मुसलमानों का हो गया है ,काफी देश ईसाइयों का बन गया है लेकिन हिंदुओं के लिए पूरा संसार में कोई अलग देश नही है इसका कारण शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन नहीं होने के कारण हिंदुओं में आस्था कम हुई । 'हर घर हिन्दुराष्ट्र अभियान' का समर्थन करते हुए धरातल पर सांस्कारिक रूप से हिन्दुराष्ट्र के निर्माण करने और हिन्दू समाज को संगठित करने हेतु आव्हान किया गया की स्वयं के घर से शुरूवात करते हुए सभी अपने-अपने घरों पर 'स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित वैदिक ध्वज' लहराए और उत्घोषणापूर्वक 'मेरा घर हिन्दुराष्ट्र' लिखे। यूट्यूब के माध्यम से पुरी शंकराचार्य जी के 4500 से अधिक प्रवचन है, गोवर्धन मठ पुरी वैसा आचरण और व्यवहार करने से पुन सनातन धर्म के प्रति लोग अस्थावान होंगे ।हम सब के पूर्वज हिंदू थे सनातनी थे पूज्य पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के घोषणा के बाद देश के प्रमुख नेता सभी कहने लगे हैं हमारे पूर्वज हिंदू थे सनातनी थे ।सभी उपस्थित भक्तों ने एकमत से हिंदू राष्ट्र अभियान में काम करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अजयनाथ , हनुमान पुरी, हरि सिंह ,जसराज सोनी, गर्व नाथ, कुलदीप नाथ , विशाल नाथ सुमित सोनी, रमेश सोनी ,पवन कुमार हिंदू, हरीश मराठा, मुकेश सोनी, हितेश सोनी, हीरालाल सोनी मातृशक्ति से लुणीदेवी, अनीता गोस्वामी, पुष्पा गोस्वामी, एवं अन्य सक्रिय सनातनी हिंदू उपसिथत रहे ।

सोढ़ाण क्षेत्र का स्नेह मिलन सम्पन्न

जिले भर से जुटे लोग , समाज हित के मुद्दों पर एकजुटता के साथ लिया निर्णय

मरुलहर न्यूज

गडरारोड़। उपखंड मुख्यालय गडरारोड़ में सोढ़ा राजपूत समाज का सामाजिक स्नेह मिलन गुरुवार को संपन्न हुआ।श्री हरसिद्धि शिक्षण संस्थान गडरारोड़ में बाड़मेर जिले के सोढ़ा राजपूत समाज का सामाजिक होली स्नेह मिलन समारोह समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ प्रारंभ हुआ जिसमें समाज हित में सामूहिक निर्णय लिए गए।

जिले भर से आए समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उदय सिंह देदूसर ने कहा कि आज के समय में समाज की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारी भावी पीढ़ी शैक्षिक रूप से सक्षम बने इसके लिए हमें बालक बालिकाओं दोनों की शिक्षा सर्वाधिक ध्यान देना होगा। समारोह में उपस्थित बंधुओं को संबोधित करते हुए वीरमसिंह जयसिंधर ने कहा कि अगर हमें समाज के भविष्य पर गंभीरता से कुछ करना है तो मृत्यभोज, अफीम डोडा , विवाह में बढ़ती फिजूल खर्ची, शराब पार्टी, व्यर्थ के शान प्रदर्शन, दिखावे आदि को छोड़ने कानिर्णय आज एकजुटता के साथ लेना होगा तथा हर गांव घर में उसे क्रियान्वित करना होगा।

क्लासीफाइड विज्ञापन

आवश्यकता

मात्र 300 (50 शब्दो तक)

मकान–दुकान किराये देना खरीदना बेचना

कर्मचारी की तलाश

शिक्षा कोचिंग

कारोबार का प्रचार

2 के साथ 1 फ्री

विज्ञापन मैटर 7976190616 पर whatsapp

मरु लहर दैनिक

16, मुथा मार्केट स्टेशन रोड बाड़मेर

मो. 9413306885, 9461208666

युवाओं की भागीदारी से मजबूत होगा लोकतंत्र : रविकुमार

मतदाता साक्षरता उत्सव में छात्राओं ने लिया नैतिक मतदान का संकल्प

मतदाता साक्षरता उत्सव के तहत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। स्थानीय एम बी सी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में मतदाता साक्षरता क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला परिषद बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वीप के जिला नोडल अधिकारी रविकुमार के मुख्य आतिथ्य, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी की अध्यक्षता और स्वीप जिला समन्वयक और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दीपाराम के विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि रविकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का लोकतंत्र मतदाताओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही मजबूत होता है। उन्होंने छात्राओं से आान किया कि वे स्वयं मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप सहित विभिन्न चुनावी ऐप्स की जानकारी देते हुए बताया कि इन डिजिटल माध्यमों के जरिए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं, नए पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक बनाना और शत-प्रतिशत मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर उन्होंने सभी छात्राओं को नैतिक एवं निष्पक्ष मतदान का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम की

अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी ने कहा कि युवा पीढ़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि यदि युवा वर्ग जागरूक होकर अपने नैतिक मताधिकार का प्रयोग करता है तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनता है। उन्होंने छात्राओं से मतदान को अधिकार के साथ-साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में निभाने का आान किया। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय को मिले उत्कृष्ट मतदाता साक्षरता क्लब के जिला स्तरीय पुरस्कार को महाविद्यालय की छात्राओं को समर्पित करते हुए स्वीप अभियान में उनकी सराहनीय भूमिका को समाज के परिवेश में विस्तृत करने का आान किया।

विशिष्ट अतिथि और स्वीप जिला समन्वयक दीपाराम ने एन एस एस की सभी स्वयसेविकाओं को महाविद्यालय की छात्राओं का शत प्रतिशत वोटर लिस्ट में पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के विभिन्न आयाम की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान नैतिकता को बनाये रखने और आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु सी विजिल ऐप, दिव्यांगो हेतु सुविधा ऐप, वोट प्रतिशत की जानकारी हेतु वोटर टर्नआउट ऐप, प्रत्याशी की जानकारी हेतु केवाईसी ऐप आदि को डाउनलोड कर इनके प्रचार प्रसार हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर स्वीप की जिला यूथ आइकॉन एवं विशिष्ट अतिथि सुश्री जयश्री छंगानी ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जागरूक मतदाता ही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव रखते हैं। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में समस्त युवा जिनकी आयु 18 साल हो जाती है उन्हें वोटर पंजीयन के लिए प्रेरित करने और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर फॉर्म 6 भरवा कर वोटर पंजीयन हेतु प्रेरित करने का आान किया। उन्होंने कहा कि एक एक मत महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक मत का समान महत्त्व है। मतदाता साक्षरता क्लब के संयोजक जितेंद्र कुमार बोहरा ने अपने संबोधन में कहा कि मतदाता साक्षरता क्लब का उद्देश्य छात्राओं में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना और उन्हें जागरूक मतदाता बनाना है। उन्होंने बताया कि कॉलेज स्तर पर समय-समय पर मतदाता जागरूकता गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाता है।

दादा गुरुदेव इकतीसा पाठ कल

थार नगरी, बाड़मेर में 41 स्थानों पर होगा आयोजन, तैयारियां पूर्ण, खेतेश्वर कॉलोनी में पोस्टर का हुआ विमोचन

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। त्रि-दिवसीय ऐतिहासिक चादर महोत्सव के दूसरे दिन 07 मार्च को वैश्विक स्तर पर होने वाले दादा गुरूदेव इकतीसा पाठ को लेकर थार नगरी, बाड़मेर में तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जिस कड़ी में गुरूवार को सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश अमन की उपस्थिति में सफेद आकड़ा रोड़ स्थित खेतेश्वर कॉलोनी में स्थान चयन, सम्पर्क एवं पोस्टर विमेचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जहां दादा गुरूदेव इकतीसा पाठ के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई तथा जिम्मेदारियां तय की गई।

सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश बोहरा अमन ने बताया कि श्री दादा गुरूदेव इकतीसा पाठ को ऐतिहासिक व भव्य बनाने को लेकर थार नगरी, बाड़मेर में तकरीबन 41 स्थानों पर आयोजन करवाने को लेकर तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जिस कड़ी में गुरूवार को सफेद आकड़ा रोड़ स्थित खेतेश्वर कॉलोनी में स्थान चयन, सम्पर्क एवं पोस्टर विमेचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रही। इस सम्पर्क कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों को आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। केवलचन्द छाजेड़ ने बताया कि यह भी उल्लेखनीय है कि जैन धर्म में खरतरगच्छ के दादा श्री जिनदत्त सूरि के 872 वर्ष के उपलक्ष्य में वर्तमान में मौजूद साक्ष्य व चमत्कारी उनके चोलपटे व चादर के पूजन-वन्दन को लेकर स्वर्ण नगरी, जैसलेमर में ऐतिहासिक व विराट स्तर पर चादर महोत्सव का आयोजन प. पू. खरतरगच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिनमणि प्रभ सूरिश्वरजी मसा आदि ठाणा की पावन निश्रा में होने जा रहा है। जिस क्रम में 07 मार्च को प्रातः 11.30 बजे से 12.30 बजे के मध्य वैश्विक स्तर पर 01 करोड 08 लाख लोगों के लक्ष्य को लेकर दादा गुरुदेव इकतीसा पाठ का आयोजन होगा। थार नगरी, बाड़मेर में श्री दादा गुरुदेव इकतीसा पाठ हेतु निम्नलिखित स्थान निर्धारित किये गये है। जिनमें जैनम भवन महावीर सर्किल, ज्ञान वाटिका जूना किराडू मार्ग वार्ड सं. 9, ज्ञान वाटिका शारदा स्कूल के पास वार्ड सं. 10, केयुप भवन मोक्ष मार्ग, ढाणी जैन धर्मशाला, ज्ञान वाटिका ढाणी बाजार, बोहरा दादी मंदिर खागल्ल मोहल्ला, चिंतामणि धर्मशाला खागल्ल मोहल्ला, अंकी बाई धर्मशाला खागल्ल मोहल्ला, ज्ञान वाटिका सुखरामदासजी की गली, दादावाड़ी लीलरिया धोरा, स्थानक भवन तेलियों का वास, दादावाड़ी महावीर चौक कल्याणपुरा, सूजी धर्मशाला कल्याणपुरा, राइजिंग स्टार पाठशाला कल्याणपुरा, ज्ञान वाटिका हमीरपुरा, जामेजी की गली, तेरापंथ भवन प्रताप जी की पोल, खरतरगच्छ आयम्बिल शाला प्रताप जी की पोल, करमूजी की गली, जैन न्याति नोहरे की गली, श्री भगवानदास जी छाजेड़ का मकान, बोहरा प्लॉट स्कूल नं. 4, गरबा चौक स्कूल नं.4, महाबार रोड, रेन बसेरा के पीछे गली नं. 2, जिरावल्ला मंदिर रेन बसेरा के पीछे, ज्ञान वाटिका माहेश्वरी भवन के पास रेन बसेरा के पीछे, खेतेश्वर कॉलोनी, महाबार रोड़, दुर्गा रेजिडेंसी, सामुदायिक सभा भवन महावीर सर्किल, फ्यूचर लिंक टेक्नो स्कूल, एमवीसी पब्लिक स्कूल कुशल वाटिका, आदर्श विद्या मंदिर लंगेरा, आदर्श विद्या मंदिर ढाणी बाजार, आदर्श विद्या मंदिर जोशियों का वास, आदर्श विद्या मंदिर रोहिडा पाड़ा, सांसियों का तला, माजीसा धाम भवन महावीर सर्किल, रामा चौक नोहरे की गली आदि स्थान शामिल है।

स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराने के लिए साक्षात्कार 11 से

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराने के लिए 11 से 13 मार्च तक साक्षात्कार आयोजित होंगे। परियोजना प्रबंधक सुरेन्द्र प्रतापसिंह भाटी ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन व्यक्तियों ने ऋण के लिए अनुजा निगम के ऑनलाईन पोर्टल पर में आवेदन किया है।

इन आशार्थियों को साक्षात्कार के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होना होगा। उनके मुताबिक 11 मार्च को अनुसूचित जाति, 12 एवं 13 को अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को प्रातः 11 बजे जिला कार्यालय बाड़मेर में संवीक्षा समिति की आयोजित बैठक में वांछित मूल दस्तावेज के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। समिति की ओर से ऋण आवेदकों के मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी एवं साक्षात्कार के जरिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाएगा।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (44) वन/2021 जयपुर, दिनांक:- 08.10.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1962 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village- Mahabar Peethal, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/48584/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (428/36)2020/एफसीए/प्रमुवस/1265 दिनांक 29.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage: 163/616 - 163/576 के खसरा नम्बर 2466/699 के ग्राम महाबार, तहसील बाडमेर, जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1962 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1962 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village- Mahabar Peethal, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan. की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **भवदीय (बी. प्रवीण) शासन सचिव**

ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई, अधिकारियों ने सुनी आमजन की समस्याएं

419 ग्राम पंचायतों में आयोजित जन सुनवाई में 681 परिवाद प्राप्त, 460 का मौके पर ही निस्तारण

मरुलहर न्यूज

बाड़मेर। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान विकास अधिकारियों एवं ग्राम स्तरीय अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया तथा अन्य प्रकरणों में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि गुरुवार को बाड़मेर जिले की 419 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई।

इस दौरान कुल 681 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 460 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। जन सुनवाई में अधिकारियों ने परिवादियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला कलक्टर ने बताया कि शेष 196 परिवादों को आगामी तीन दिनों में संपर्क पोर्टल पर संबंधित विकास अधिकारी की आईडी से ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित उपखंड अधिकारियों को इन प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। इसी क्रम में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को ब्लॉक तथा तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई आयोजित की जाती है।

इसी दौरान 82 ग्राम पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष प्रकरणों में संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

मालिक श्रीमती करिश्मा जैन के लिए प्रकाशक गौतम चंद जैन द्वारा दैनिक मरूलहर 261 K, डोला डूंगरी, वार्ड नं.-7, जूना किराडू मार्ग, बाड़मेर से प्रकाशित एवं उजाला भारत दैनिक ऑफसेट प्रिन्टर्स प्लॉट नंबर 290-बी, मिल्कमेन कॉलोनी, गली नंबर 14 जोधपुर से मुद्रित। मुद्रक-राजेश। सम्पादक-गौतम चंद जैन, बाड़मेर-02982-230101,230785, मो.नं.-9413306885

Andhra Pradesh to give Rs 25,000 to couples for 2nd, 3rd child

Sreenivas Janyala
Hyderabad, March 5

THE TELUGU Desam Party (TDP)-led NDA government in Andhra Pradesh will give Rs 25,000 to couples for having a second or third child — a move that comes months after CM N Chandrababu Naidu urged people to have more children citing concerns over declining fertility, an ageing population and reduced parliamentary representation for South India.

Naidu told the Legislative Assembly that his population management plan would be a game changer to increase population.

"Currently, about 58% of families have only one child, around 2.17 lakh families have two children, and nearly 62 lakh families have three or more children," he told the Assembly.

"Around 3 lakh families have only one child, while another 3 lakh families have more than two children."

Claiming that Andhra Pradesh's Total Fertility Rate stands at 1.5 against the ideal 2.1 "to maintain demographic balance", the CM said that as economies grow, birth rates tend to decline, which can create workforce shortages and long-term economic challenges.

Calling it a "major policy intervention", Naidu said: "To address this, the government is proposing financial incentives for childbirth. Under the plan, parents who have a second child or more will receive Rs 25,000 at the time of delivery..."

7 YEARS IN JAIL, RS 5-LAKH FINE FOR FORCED RELIGIOUS CONVERSIONS

Anti-conversion Bill gets Maharashtra cabinet nod

Vallabh Ozarkar
Mumbai, March 5

MAHARASHTRA'S CABINET on Thursday approved a draft anti-conversion law titled "Dharma Swatantrya Adhiniyam, 2026", proposing up to seven years imprisonment and a fine of Rs 5 lakh for unlawful or forced religious conversions.

BJP minister Nitesh Rane told *The Indian Express* that the law would "prevent forcible marriage and conversion of Hindu girls". The Bill is expected to be tabled in the state legislature during the ongoing budget session, sources told this newspaper. *The Indian Express* reported on February 27 that a draft of the anti-conversion law was under consideration.

The Bill proposes banning and penal action against organisations found guilty of carrying out unlawful religious conversions. Individuals found guilty could face imprisonment of up to seven years along with a fine of up to Rs 5 lakh. Offences under the proposed law are non-bailable, empowering police to register cases where allegations of forced religious conversion are made.

The Bill will be tabled in the state legislature and will come into force upon passage by both Houses and the Governor's assent. Confirming the development, Rane told *The Indian Express*: "The draft has been approved in the cabinet meeting against the Love Jihad or Anti Conversion bill and soon a government resolution would be issued about it... This is a law against unlawful conversion and with this Bill no one will be able to forcibly marry and convert Hindu girls." Rane also said that the draft had been prepared keeping in mind constitutional provisions, Supreme Court guidelines and existing laws in other states.

With this decision, Maharashtra joins a growing list of states that have enacted or proposed laws against religious conversions through coercion, fraud or inducement.

Opposition Shiv Sena (UBT) MLA Sachin Ahir, meanwhile, questioned the intent and scope of the bill. "It needs to be understood that law considers whom and in what context, and those who talk about 'love jihad' are speaking specifically about which communities and whether it is for all the communities or just one community. I think it should be for and we should speak on it only when it is fully drafted and studied."

Chief Minister Devendra Fadnavis previously said that the government is not opposed to interfaith marriages. However, he said, "Where marriages happen through coercion, using false identities and with the objective of religious conversion and harassment, they need to be firmly tackled through an Act."

The BJP-led Mahayuti government also included a commitment to bring such legislation as part of its political messaging around alleged cases of forced religious conversions, described as "love jihad".

The development comes days after Gujarat, another BJP-ruled state, tabled amendments to its marriage registration law making parental consent mandatory. In the Gujarat Assembly last week, Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi said that "under the name of love jihad, a game is being played in the state" and that "a strong armour needs to be created for young girls".

The matter of anti-religious conversion laws also reached the Supreme Court, which decided to examine the validity of such laws enacted by 12 states, even as Christian groups submitted that these statutes "incentivise" vigilante groups to commit acts of violence against minorities.

A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant issued notice to the Union Government through the Ministry of Law and Justice, as well as to Himachal Pradesh, Odisha, Karnataka, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand and Rajasthan.

E. EXPLAINED

Groundwork for the legislation

In February 2025, the Maharashtra government had issued a government resolution announcing its intention to bring in such a legislation and constituted a seven-member committee headed by the Director General of Police to examine legal provisions related to religious conversions, studying existing laws in other states and suggesting a suitable legal framework for Maharashtra. The committee's findings and a comparative study of laws enacted in other states formed the groundwork for the proposed legislation. The draft was presented to the government on February 26.

> **The draft has been approved in the cabinet meeting against the love jihad or anti-conversion Bill, and soon a government resolution would be issued about it... with this Bill no one will be able to forcibly marry and convert Hindu girls.**
>
> **NITESH RANE,** BJP MINISTER

As Nitish Kumar moves to Rajya Sabha, next Bihar CM likely from BJP

Deeptiman Tiwary
New Delhi, March 5

WITH BIHAR Chief Minister Nitish Kumar announcing he will move to the Rajya Sabha, the BJP has finally stamped its authority within the NDA in the state. A junior partner in the alliance for decades, the BJP will for the first time have its own CM in the state. Kumar's exit — the JD(U) has won fewer seats than the BJP in two successive Assembly elections — also has the potential to significantly realign Bihar politics.

The shift in the NDA's internal balance has been years in the making. While the Vajpayee-Advani era coalition politics helped the BJP build its base in Bihar, the Modi era has seen the party nurture larger ambitions under a more centralised ideological and organisational leadership.

Signs of the transition were visible even before last year's Assembly elections. The JD(U) agreed to contest an equal number of seats with the BJP — historically it had contested more — conceded a substantial share to the LJP (Ram Vilas) of Chirag Paswan, and after the government was formed, gave up the state Home portfolio that Nitish had always retained.

Yet, as the principal pole of politics in Bihar now, the BJP faces challenges of its own: producing a credible local leadership capable of filling Nitish's large boots and expanding its social base beyond its traditional support among upper castes, Banias, and a section of OBCs.

Coalition compulsion to dominance

In the Vajpayee years, the BJP's Bihar strategy was constrained by the NDA's broader "coalition dharma". Regional parties born of Mandal politics — from the JD(U) in Bihar to its variants elsewhere — possessed both ideological veto power and seat-sharing leverage. The BJP needed their backward-caste anchors to counter the Congress and regional social justice parties and therefore accepted a junior or co-equal role.

The Modi era altered that hierarchy across the Hindi heartland. A sharper Hindutva nationalism, combined with welfare delivery and leadership-centric messaging, began cutting across sub-caste boundaries. This allowed the BJP to overshadow or subordinate allies in states such as Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and Haryana.

Bihar CM Nitish Kumar in Patna on Thursday. ANI

In Bihar too, the party's long-term objective shifted from being a reliable junior partner to becoming the alliance's hegemonic pole: retain regional allies when useful, but ensure the BJP's vote base, organisation and leadership bench are strong enough that no partner can credibly threaten it.

Slow and steady

Through the 2000s, the BJP largely rode on Nitish Kumar's political strength. In October 2005, the JD(U)-BJP alliance ended RJD rule with JD(U) winning 88 seats to the BJP's 55. In 2010, the JD(U) again led with 115 seats while the BJP had 91, giving the alliance 206 seats in the 243-member Assembly. Nitish's governance image and Kurmi-centred backward caste base defined the coalition, while the BJP brought upper-caste, urban, and trader votes.

The inflection came in 2014 when Nitish broke with the NDA over Narendra Modi and contested the Lok Sabha elections with the CPI. The JD(U)-CPI combine won just two of Bihar's 40 seats with about 16% vote share. In contrast, the BJP-led NDA swept 31 seats, with the BJP alone winning 22 and securing nearly 30% vote share.

The 2015 Assembly election became the clearest test of the BJP's independent strength. Fighting without JD(U), the BJP-led NDA was defeated by the Mahagathbandhan. Yet, the BJP emerged as the single-largest party by vote share, registerin 24.4% vote share and a tally of 53 seats, compared with RJD's 18.4% and JD(U)'s 16.8%. That demonstrated the BJP's independent pull but also its inability to assemble a winning social coalition on its own.

When Nitish returned to the NDA in 2017, the BJP stopped deferring. In the 2020 Assembly polls, it overtook the JD(U) within the ruling alliance: the BJP won 74 seats and 19.46% vote share against JD(U)'s 43 seats and 15.39%, though Nitish remained the CM.

The shift was aided by Chirag Paswan-led LJP contesting separately and fielding candidates only against the JD(U). Many in the JD(U) believe this was done with the BJP's tacit support to cut Nitish down to size.

The episode eventually triggered another split in the NDA, with Kumar returning to the RJD-led alliance before rejoining the BJP ahead of the Lok Sabha elections amid speculation about his health and the future of his party.

By 2025, the political logic had become clear. The NDA swept 202 seats, with the BJP winning 89 and JD(U) 85. Yet the BJP — not the JD(U) — emerged as the alliance's pivot for leadership decisions and cabinet formation. For the first time, the state Home portfolio, long retained by Nitish Kumar, went to the BJP.

Organisation, outreach, and limits

The BJP's rise has been driven not only by alliance politics but also by deliberate organisational expansion and social outreach. Over the past decade, the party has worked to graft non-Yadav OBCs and Extremely Backward Classes (EBCs) onto its traditional upper-caste base through targeted ticket distribution and leadership promotion. In Bihar, this has meant elevating leaders such as Samrat Chaudhary (Koeri/Kushwaha) and Nityanand Rai (Yadav).

At the same time, the party built a formidable organisational network under Amit Shah, expanding booth-level structures, deploying full-time pracharaks, and running intensive rural campaigns. Combined with the financial and media advantages of being in power at the Centre, this has given the BJP resources that regional parties such as JD(U) and RJD struggle to match.

Yet, the BJP's Bihar numbers also reveal its limits. The party has yet to produce a leader who commands the kind of cross-caste appeal that Nitish once did. Many of its prominent OBC faces are imports from social justice parties rather than leaders groomed within the BJP's ideological ecosystem.

FULL REPORT ON WWW.INDIANEXPRESS.COM

'BANGLAR YUVA SATHI': STIPEND FOR UNEMPLOYED YOUTHS AGED 21-40

84 lakh applications for Rs 1,500 a month: On SIR sidelines, another rush in Bengal

Tanusree Bose
Kolkata, March 5

WHILE ALL eyes were on the queues to get into electoral rolls in West Bengal ahead of completion of the Special Intensive Revision (SIR) exercise last month, more than 65 lakh were lining up before other camps in the 294 Assembly constituencies of the state.

Combined with 19 lakh who applied online, over 84 lakh registered over the space of 12 days, between February 15 and 26, for the state government's 'Banglar Yuva Sathi' scheme, which entitles unemployed youths in the state between the ages of 21-40 to Rs 1,500 monthly stipend, starting April.

As per estimates by the non-profit Population Foundation of India for 2021, West Bengal has around 3.46 crore people in the 21-40 bracket. In other words, almost 1 in 4 people between these ages registered for the Bengal government scheme.

Minister of Women and Child Development and Social Welfare Shashi Panja told *The Indian Express* that the response to the Yuva Sathi scheme showed that "it meets the expectations of the young".

To the Opposition's charge that the rush indicated the extent of unemployment in the state, Panja said that there should be appreciation that the government was extending "some sort of assistance" to those currently unemployed, including those who may be pursuing higher education.

TMC govt says scheme meant as 'some sort of assistance' to buy books

A camp for Banglar Yuva Sathi scheme in North Kolkata. PARTHA PAUL

"The idea is to provide basic help so that someone can purchase books needed or pay enrolment form fees. Obviously, the state will be taking initiatives to generate more jobs, but those making fun of us should know that the all-India unemployment index is not very healthy either. This is a problem that the entire country is struggling with," the minister said.

That the government is gambling big on the scheme ahead of the elections is evident from the Rs 5,000 crore set aside for it in the Budget for this year. Chief Minister Mamata Banerjee's photograph dominated billboards advertising the scheme, ruling Trinamool Congress workers set up desks at the Yuva Sathi camps to help registration, and the government ensured banks put up counters to handle any issues on the spot.

A senior officer of a nationalised bank told *The Indian Express*: "Many applicants had joint accounts, while for this scheme, the beneficiaries needed accounts to be in their name. Every day, we handled 10-12 applications per counter for new accounts."

One of those who has registered for the Yuva Sathi scheme is Anshu Jaiswal, 24. He registered at a camp in the Shyampukar Assembly seat, a day before the registration was to end.

The B Com graduate said he did not want to move out of Bengal and had been trying for a job for a year. "I have given so many interviews, applied at several places, with no luck... With the Yuva Sathi money, at least my bus fares and form fees will be covered." Renu Singh, 21, who has also enrolled for the scheme, said she had studied only till Class 12 and was looking for some work she could do from home. "I want to do a stitching or a beautician course, and this money will help pay for it."

The applicants need to be at least Class 10 pass, with the monthly stipend to continue for a maximum period of five years, unless they get a job earlier. Beneficiaries of other state government schemes such as Lakshmi Bhandar and Krishak Bandhu do not qualify.

Jhumur Chatterjee, whose son Ronit Chatterjee, 22, a paramedical student, enrolled for the scheme said she was not a supporter of "such doles". "It is better if funds are used for healthcare or education, or more industries are brought to the state. Whatever the amount, it will make youth dependent from a young age. But my son insisted (on enrolment)," she said.

Anish Patra, who was a volunteer at the Shyampukar camp, said the scheme was most beneficial for the young men in the state. "There is Kanyashree (cash transfer for girls and young women in Bengal), but now there is something for the men too." As per data shared by the state government, among the highest number of applications were from Purba Bardhaman, known as the rice bowl of Bengal, followed by its bordering districts Nadia and Hooghly. The least number of applications were from Kalimpong district.

Punjab-origin YouTuber killed in Canada; probe on

Anju Agnihotri Chaba
Jalandhar, March 5

A 45-YEAR-OLD YouTber and activist of Punjabi origin, Nancy Grewal, was stabbed to death in Canada with her mother Thursday claiming that she used to receive threats to her life. Nancy was murdered in LaSalle town of Ontario "just before 9:30 pm on March 3", LaSalle Police Chief Michael Pearce said in a statement.

Identifying the victim as "Nancy Grewal of Windsor", Pearce said that "investigators are viewing this as an isolated incident" and asked anyone with information to contact Detective Sergeant Jamie Nestor.

Nancy was working as a caregiver and nurse, and was reportedly stabbed multiple times while on duty at a residence she had visited as part of her work.

As per the police, they found Nancy with severe stab wounds. She was taken to a hospital, where she succumbed to her injuries.

No suspect has been named or arrested for the killing that marks LaSalle's first homicide in four years.

Sukhoi goes off radar, search op begins in Assam

Sukrita Baruah
Guwahati, March 5

A SEARCH and rescue mission has been launched after a Sukhoi Su-30 MKI from the IAF went missing from radar contact Thursday evening in Assam.

According to the IAF, the aircraft had taken off from the air force station in Jorhat and lost contact. "An IAF Su-30 MKI is reported overdue. The aircraft had taken off from Jorhat, Assam and was last in contact at 7:42 pm. Further details are being ascertained. A search and rescue mission has been initiated," read a statement from the IAF.

'Can't close our eyes to what's happening': HC notice to police on encounters in Punjab

Manraj Grewal Sharma
Chandigarh, March 5

THE PUNJAB and Haryana High Court Thursday issued a notice to the Punjab Police in connection with the alleged encounter killing of a 19-year-old in Gurdaspur and directed the DGP to file an affidavit by March 17 explaining the circumstances of the incident.

DGP Gaurav Yadav appeared before the bench through video conference and responded to the court's queries during the hearing. The bench, headed by Justice Anupinder Singh Grewal and comprising Justice Deepak Manchanda, said it could not "close its eyes" to the concerns being raised about recent encounters in the state and sought a detailed response from police.

The court observed that the material placed before it suggested the deceased youth, Ranjit Singh, had no criminal antecedents. "You have to satisfy us," the bench told police, adding the court would examine the reply before deciding the next course of action, including whether the matter should be handed over to an independent agency. "We can't close our eyes to what is happening," Justice Grewal said, emphasising suspects must be dealt with strictly in accordance with the law.

Ranjit was one of the three youths named by police in the February 22 double murder of ASI Gurnam Singh and Home Guard jawan Ashok Kumar at a joint checkpost in Adhian village, barely 2 km from the Pakistan border, in Gurdaspur. Investigators had described the attack as an ISI-orchestrated strike aimed at spreading terror, with the trio allegedly paid around Rs 20,000 to carry it out. While Dilawar Singh was arrested immediately and Inderjit Singh was picked up from Amritsar, Ranjit was declared killed in an "encounter" three days after the police officers' killings. Ranjit had been working in Delhi, and had come home on leave when he was killed in the alleged encounter on February 25. Dilawar worked with Ranjit in Delhi and he too had come home on leave.

मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को सम्मन
(आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता)
न्यायालय :- सिविल न्यायाधीश (क.ख.), संख्या-2, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनदीप (आर.जे.एस.) नियमित/विविध सिविल प्रकरण सं. 55/2018
शीर्षक :- श्रीमती हेमलता बनाम आत्मा राम

प्रेषित :- (1) श्रीमती उषा सूद पत्नि स्व. श्री नरेन्द्र पाल सूद, निवासी-मकान नं. 130, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर। (2) गौरव सूद पुत्र श्री नरेन्द्र पाल सूद, निवासी- मकान नं. 130, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर। जोकि हेमलता वादी ने न्यायालय में दिनांक 29.09.2018 को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया था प्रतिवादी की अब मृत्यु हो चुकी है और उक्त वादी ने यह अभिकथन करते हुए इस न्यायालय में आवेदन किया है कि आप उक्त प्रतिवादी संख्या 5 मृतक के विधिक प्रतिनिधि है और यह इच्छा प्रकट की है कि आपको उसके बदले में प्रतिवादी बनाया जाए। आपको सम्मन किया जाता है कि आप उक्त वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए दिनांक 16/3/26 को 10 एएम बजे इस न्यायालय में हाजिर हो और यदि आप उपर बताई गई तारीख को उपसजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका आधार अवधारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। यह आज तारीख 25/2/26 को मेरे हस्ताक्षरों से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुद्रा - न्यायालय की आज्ञा से, रीडर, सिविल न्यायाधीश सं. 2 श्रीगंगानगर (राज.)
167/25.2.26

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice
Tender No:30/SE/PHC/ TSR/2025-26
Jal Jeevan Mission (JJM)- WSS to Puthur, Pananchery and Madakkathara Panchayath (7th SWSM)-Renovation of 36 MLD WaterTreatment Plant at Peechi - General Civil Work **EMD:** Rs. 5,00,000/- **Tender fee:** Rs. 16540/- **Last Date for submitting Tender:** 21-03-2026 03:00: pm **Phone:** 0487–2423230 **Website:** www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Engineer
PH Circle
Thrissur

KWA-JB-GL-6-764-2025-26

KOCHI METRO RAIL LIMITED
KOCHI METRO RAIL LIMITED
(A joint venture company of Govt. of India & Govt. of Kerala)
4th Floor, JLN Stadium Metro Station, Kaloor, Ernakulam-682017
Ph: 0484-2846700

E-TENDER

E-Tender cum Auction Notice for Property Development and Lease of part of building at Edapally Metro Station (RHS)

Tender ID: 2026_KMRL_833182_1
Last date of submission: 11-March-2026

Tender documents can be downloaded from www.etenders.kerala.gov.in / www.kochimetro.org

Further corrigendum & addendum will be published only on website

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

ADVERTISEMENT FOR ATM PREMISES

BANK OF BARODA Invites proposals / offers In two bid system viz. (1) Technical Bid (TB) and (2) Financial Bid (FB) from Owners / Builders / Developers having clear marketable title over property for possession on Ground Floor, for 03 ATM premises on lease basis at the following places in Jodhpur city.

Location	Required Carpet Area
1. Near Pal Balaji Mandir	Between 80 Sq ft to 100 Sq ft
2. Inside Sojati Gate Area (Ghodo ka Chowk/ Bai Ji ka Talab/ Tripoliya bazaar / Moti Chowk)	Between 80 Sq ft to 100 Sq ft
3. Near Mandore Gardern	Between 80 Sq ft to 100 Sq ft

Interested parties may submit offer in two sealed envelopes in conformity with two bid system viz. (1) Technical Bid (TB) and (2) Financial Bid (FB) latest by **19-03-2026 up to 3.00 P.M.**
Both the sealed covers marked as "Technical Bid" (TB) and "Financial Bid" (FB) respectively super scribing advertisement reference and applicant's name, full address and Contact no. be put in one another one sealed cover addressed and submit to **Deputy General Manager, Bank of Baroda, Regional office, 10 Pal link road, near Radha Krishna Temple, Jodhpur-342008.**
Any decision taken by Bank at any point of time in connection with this process shall be final and conclusive and no claim or dispute from any quarter in that regard shall be entertained.
The blank formats of Technical Bid and Financial Bid can be downloaded from our Bank's website **www.bankofbaroda.bank.in/tenders.asp**

Dated: 06/03/2026 Deputy General Manager, Jodhpur Region

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (44) वन/2021 जयपुर, दिनांकः- 08.10.2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- Diversion of 0.1962 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village- Mahabar Peethal, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/48584/2021)

संदर्भः- आपका पत्रांक एफ 14 (428/36)2020/एफसीए/प्रमुवस/1265 दिनांक 29.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Chainage: 163/616 - 163/576 के खसरा नम्बर 2466/699 के ग्राम महाबर, तहसील बाडमेर, जिला बाडमेर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1962 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1962 ha. of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Barmer City - Dhorimanna Road (NH-68) between KM Stone No. 163-164 (Chainage: 163/616 - 163/576) RHS in Khasra No. 2466/699, At Village- Mahabar Peethal, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan. की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **भवदीय (बी. प्रवीण) शासन सचिव**